

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2023/326

दिनांक : 05/09/2023

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषय : आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण हेतु।

--- :: --- :: ---

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रशासनिक विभाग के अनुमति पत्र क्रमांक:प. 25(9)चिस्वा/2/2012 दिनांक 08.05.12 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 06.10.10 के अनुसार आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण अवधि 06 माह का कार्यक्रम निर्धारित करने हुए शेष रहें 06 माह के प्रशिक्षण हेतु उक्त अधिसूचना के बिन्दू संख्या 06 के अनुसार इस विभाग के फार्मसी/पीएचसी/सीएचसी/ग्रामीण औषधालय अथवा जिला अस्पताल में उक्त प्रशिक्षण पूरा करने का विवरण अंकित है।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि इस विभाग को अग्रेषित निम्नांकित छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण हेतु आपके अधीन संस्थान में प्रशिक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

| क्र सं. | छात्र/छात्रा का नाम | CMHO/PMO जिनके अधीन इन्टर्नशिप की जानी है | कॉलेज का नाम |
|---------|--|--|---|
| 1 | डॉ दिलीप सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु | महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविधालय जयपुर |
| 2 | डॉ यादवेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर | श्री शिरडी साईं बाबा आयुर्वेद एवं हॉस्पिटल किशनगढ़ रेनवाल जयपुर |
| 3 | डॉ अब्दुल मनान पुत्र श्री अब्दुल वहाब | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर | यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ यूनानी, टोंक |
| 4 | डॉ मिस सना पुत्री श्री मोहम्मद सलीम तंवर | प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर | राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, जयपुर |
| 5 | डॉ राजेश कुमार श्री मेहरान | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर | यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ यूनानी, टोंक |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 6 | डॉ प्रियंका वर्मा पुत्री श्री मालीराम वर्मा | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम | महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर |
|---|---|---|--|



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2023/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
5. रक्षित पत्रावली।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।